न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 30 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

रेस्पोडेंटगण

वालाराम पुत्र स्व. खेराजराम **बनाम** 1.रतनाराम पुत्र स्व. खेराजराम वगै.

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम वास्ते निर्णय

उपस्थिति

1. वकील श्री कपिल चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 25.11.2021

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि उपरोक्त एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2019 पारित होने का अपीलांट को इतने दिनो तक ज्ञान नहीं हुआ और दिनांक 27.11.2019 के पश्चात दिनांक 22.03.2020 को कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लग जाने के कारण उसके पश्चात समय समय पर पुनः लॉकडाउन लगने के कारण और दिनांक 07.06.2021 तक लॉकडाउन रहा। उपरोक्त परिस्थितियो में न्यायालय में लगातार नियमित रूप से कार्यवाही नहीं चली और न ही अपीलांट का अपने अधिवक्ता से लगातार सम्पर्क ही हुआ बल्कि अपीलांट अपने हिस्से की भूमि मे आज से करीबन 05 रोज पूर्व ओरा बना रहा था तब उतरदाता संख्या 01 व उसके पुत्र हेमाराम आये और अपीलांट को कहा की जिस भूमि पर आप ओरा बना रहे हो वह भूमि हमारे बंट में आई हुई है और हमारे पक्ष में निर्णय हो गया है तब अपीलांट अपने अधिवक्ता से पूछा तो उन्होने निर्णय होने के वारे में नहीं बताया तब अपीलांट को संदेह हुआ तो अपीलांट ने पटवारी हल्का से पूछा तो पटवारी हल्का से निर्णय होने का कहा तब अपीलांट ने दिनांक 10.06.2021 को पत्रावली की नकल मांगी जो उसी दिन नकल प्राप्त हो गई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है। अपील अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान करावे। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

DNJ 2019(1)(Raj.) Page 408

RRD 2020 Page 249

RRT 2002(1) H.C. Page 648

RRT 2008(2) Page 1406

RRT 2009-10(SUPP.) Page 603

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का जवाब पेश करते हुए उसमें अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में बताया कि अपीलकर्ता ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरुद्ध दिनांक 14.06.2021 को यानि तकरीबन 01 वर्ष 06 माह के बाद बेबुनियाद आधारों पर यह अपील पेश की है। अपीलांट के अधिवक्ता दिनांक 30.10.2019 को न्यायालय में उपस्थित थे लेकिन आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.11.2019 की उनको जानकारी होते हुए भी बिना कोई वजह अनुपस्थित आये। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.06.2018 अपीलांट अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अंतिम डिक्री दिनांक 27.11.2019 पारित की गई उससे पूर्व अपीलांट के अधिवक्ता प्रति पेशी उपस्थित आये। अपीलांट के अधिवक्ता दिनांक 30.10.2019 को न्यायालय में उपस्थित थे जिनको आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.11.2019 की जानकारी थी उसके बावजूद जानबूझकर अपीलांट अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अकारण विलम्ब से पेश की गई है हस्तगत अपील को सुदीर्घ अवधि तकरीबन 01 वर्ष 06 माह बाद पेश किया गया है जिसका कोई विधि सम्मत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कारण नहीं बताया गया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अपीलांट की अपीलों को इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर